भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

75AD 005697

यह जनरल स्टाम्प पेपर एन० एस० लाल नेहरू हाई स्कूल समिति

जिला प्रतापगढ़ पत्रावली सं० AL-4223

स्मृतिपत्र एवं नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

संयुक्त कार्यालय सहायक निबन्धक ... इलाहाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

Pasps

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

इलाहाबाद

28/3/14

=:: नियमावली ::-

(1) संस्था का नाम — एस.एस. कान्वेन्ट हाईस्कूल समिति।

(2) संस्था का पता — 34/1 त्रिवेणी नगर नैनी इलाहाबाद (उ०प्र०)

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश का कार्यक्षेत्र होगा। कार्यक्षेत्र आवश्यकतानुसार बढ़ाया व घटाया जा सकेगा।

(4) संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों का वर्ग — प्रत्येक प्रकार की सदस्यता हेतु प्रबन्धक/मंत्री के नाम से आवेदन पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रबन्धक/मंत्री की संस्तुति के उपरान्त ही प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से सदस्यता प्रदान की जा सकेगी। बिना प्रबन्धक/मंत्री की संस्तुति के पत्रों पर विचार करने के लिये साधारणसभा व प्रबन्ध समिति अधिकृत न होगी। संस्था मे निम्न प्रकार के सदस्य होंगे :-

(1) संस्थापक सदस्य — जिन व्यक्तियों के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जा रही है वे इस संस्था के संस्थापक सदस्य होंगे। प्रत्येक संस्थापक सदस्य को अपना नाम संस्थापक सदस्य के रूप मे दर्ज कराने के लिये 100.00 रु. संस्था को दान देना अनिवार्य होगा।

(2) आजीवन सदस्य — संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त जो व्यक्ति इस संस्था को 5000.00 रु. नगद या इस अचल सम्पत्ति के रूप मे दान देंगे वे इसके आजीवन सदस्य होंगे।

(3) सामान्य सदस्य — प्रत्येक वह व्यक्ति जो संस्था को 10.00 रु. प्रवेश शुल्क व 2.00 रु. मासिक चन्दा देगा सामान्य सदस्य माना जायेगा।

(5) सदस्यता की समाप्ति — निम्न परिस्थितियों मे संस्था की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

1) मृत्यु हो जाने पर

2) पागल होने या दिवालिया हो जाने पर

3) न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य मे दण्डित हो जाने पर

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
25/2/19

4) मासिक सदस्यता शुल्क निर्धारित माह के 15 दिन बाद तक न देने पर

5) बिना पूर्व सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

6) त्यागपत्र को अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से स्वीकार की जाने पर

7) संस्था विरोधी कार्य करने पर या जिससे संस्था की मर्यादा भंग होती है।

सदस्यता समाप्ति का निर्णय बहुमत से लिया जायेगा

(6) संस्था के अंग:-

क- साधारण सभा

ख- प्रबन्ध कारिणी समिति

(7) साधारण सभा:-

क- गठन :- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा होगी।

ख- बैठकें :- सामान्य व विशेष- साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार होना अनिवार्य होगा विशेष आवश्यकतानुसार कभी भी प्रबन्धक/मंत्री द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन पर अथवा 2/3 सदस्यों की लिखित मांग पर बुलायी जा सकेगी।

ग- सूचना-अवधि- साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनायें कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष की 24 घंटे पूर्व देना अनिवार्य होगा।

घ- गणपूर्ति - कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी स्थगित बैठक के पुनः आयोजन पर कोरम का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा विषय व एजेण्डा प्रकरण की स्थगित बैठक में किसी नये प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा।

सत्य प्रतिलिपि

ङ- विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि - संस्था प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी जहाँ

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
25/2/19

ङ- वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि - संस्था प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना नियमित वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति अपने अनुसार तय करेगी जिसमें संस्था के वर्ष भर के क्रिया कलापों की समीक्षा की जायेगी।

च- साधारण सभा के कर्तव्य-

1- प्रबन्ध कारिणी समिति के कार्यों पर नियंत्रण करना।

2- संस्था की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन करना।

3- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन व स्वीकार करना।

4- वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तावित करना एवं उसे अनुमोदित करना।

5- नये नियम उपनियम बनाना।

6- संस्था के विकास हेतु सम्यक प्रयास करना।

(4) प्रबंध कारिणी समिति-

(क) प्रबंध कारिणी समिति का गठन - संस्था के प्रबंध कारिणी समिति में कम से कम नौ तथा अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य हो सकते हैं जिसमें सदस्य तथा अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

(ख) प्रबंध कारिणी समिति की बैठक- जब प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक आवश्यक समझी जायेगी तो 24 घंटे में बुलायी जा सकती है। वैसे 3 माह में बैठक बुलायी जायेगी।

(ग) प्रबंध कारिणी समिति की बैठक की सूचना विधि- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

(घ) प्रबंध कारिणी समिति की गणपूर्ति - **सत्य प्रतिलिपि**

1- बैठक की गणपूर्ति 5 सदस्यों की होगा

2- 3 सदस्यों की एक उपसमिति बनायी जायेगी जो प्रबंध कारिणी के आदेशों द्वारा होगी, किसी विशेष कार्य तथा प्रयोग के लिये।

3- प्रबन्ध कारिणी सदस्यता रिक्त होने के कारण समिति को अधिकार होगा की वे उस रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु साधारण सदस्यों में से किसी सदस्य को उस पद के लिये मनोनीत कर दे परन्तु उसकी स्वीकृति प्रबंध कारिणी की होगी।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
25/2/19

(घ) प्रबंध कारिणी समिति के कर्तव्य-

1- संस्था के कार्यों का अवलोकन करना

2- संस्था का वार्षिक बजट प्रस्तावित करना।

प्रबंध कारिणी समिति का कार्यकाल- तीन वर्ष का होगा । आपात काल 6 माह की अवधि तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य - प्रबंध कारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी गण होंगे।

1- अध्यक्ष 2- उपाध्यक्ष 3- प्रबन्धक/ मंत्री 4- उपप्रबंधक

5- कोषाध्यक्ष 6- निरीक्षक 7- मुख्य सलाहकार

8- सलाहकार (2) 9- सदस्य

1- अध्यक्ष- संस्था का अध्यक्ष संस्थान का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा । समस्त प्रकार की बैठकों की कार्यवाही का अनुमोदन करना, संशोधन करना या उन्हे निरस्त करना, उसके अधिकार मे होगा।

2- उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का पूर्ण अधिकार होगा।

3- प्रबंधक/ मंत्री- समिति की बैठक बुलाने का अधिकार प्रबंधक/ मंत्री को होगा। इस कार्य के लिये अध्यक्ष की अनुमति लेना अति आवश्यक है। कार्य का कुल अधिकार संस्था के प्रबंधक/ मंत्री के अधिकार मे होगा तथा आय व्यय का हिसाब अर्थात संस्था सम्बन्धी पत्र व्यवहार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी।

4- उपप्रबंधक- प्रबंधक/मंत्री की अनुपस्थिति पर उप प्रबंधक को प्रबंधक/मंत्री का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।

5- कोषाध्यक्ष- कोषाध्यक्ष को संस्था की आय-व्यय का हिसाब तथा रकम को सुरक्षित रखने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी तथा संस्था के आडिट हेतु नियुक्त आडिटर को समस्त प्रपत्र उपलब्ध करायेगा । सत्य प्रतिलिपि

6- निरीक्षक - निरीक्षक संस्था के आय व्यय का निरीक्षण करेगा और प्रतिवर्ष के अन्त मे आय-व्यय की रिपोर्ट संस्था के प्रबन्ध कारिणी समिति को अनिवार्य रूप से देना होगा ।

7- मुख्य सलाहकार- मुख्य सलाहकार सलाहकारों के निर्णय पर संस्था की योजनाओं मे अपनी राय दे सकता है । सलाह को मानना प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
23/8/17

(ड) ... के नियमो व उपनियमो मे संशोधन प्रक्रिया - साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमो व उपनियमो मे संशोधित परिवर्तन स्वीकार होंगे।

(ढ) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाहियों का संचालन एवं उत्तरदायित्व- यदि संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है या संस्था पर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो समस्त अदालती कार्यवाही प्रबंधक / मंत्री के नाम या उन्हीं द्वारा की जायेगी।

(ण) संस्था के अभिलेख- 1- सदस्यता रजिस्टर

2- कार्यवाही रजिस्टर

3- स्टाक रजिस्टर

4- कैश बुक

(त) विघटन - संस्था हेतु विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा (13) व (14) के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक-

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
25/7/19